रमेश एलियास डेपिंदर सिंह

विरुद्ध

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 347)

22 मार्च, 2021

[उदय उमेश ललित और के. एम. जोसेफ, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 323 और 324 आर/डब्ल्यू 34-सशस्त्र हमले के परिणामस्वरूप हत्या-सामान्य इरादा-प्रत्यावर्ती दायित्व - तीन आरोपी-'एस' और 'एन', पीडब्लूआई (मुखबिर) के मामा, प्रमुख आरोपी थे-आरोपी-अपीलार्थी उनका चालक था - ' पी. डब्ल्यू. 1 के खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त-पी. डब्ल्यू. आई. अपनी नानी के आवास पर अपने दोस्तों-'एस' और 'एन' के साथ गया था, जो वहां मौजूद थे, पी. डब्ल्यू. आई. और उसके दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार किया जिससे झगड़ा और हाथापाई हुई-पी. डब्ल्यू. आई. और उसके दोस्त जल्दबाजी में वहां से चले गए। लेकिन एक स्कूल के पास रुका-'एस' और 'एन' अपीलार्थी के साथ, मोटरसाइकिल पर वहाँ आया और पीडब्लू1 और उसके साथ हमला करना शुरू कर दिया। मित्र 'एस' के पास एक डंडा था और 'एन' के पास एक दरांती (दरात) थी-पीडब्लू1 और उसके एक मित्र को चोटें आईं और वह भाग गया-दूसरे मित्र की मृत्यु हो गई-निचली अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि-क्या अपीलार्थी को एस की सहायता से दोषी कहा जा सकता है। 34 आई. पी. सी.-आयोजितः समर्थन में नेत्र संबंधी गवाही अभियोजन पक्ष की गवाही केवल पीडब्लू1 की गवाही के माध्यम से थी-पीडब्लू1 ने अपीलार्थी को किसी भी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, जहां तक मृतक पर हमले का संबंध था और न ही अपीलार्थी को किसी हथियार से लैस बताया गया था। अपीलार्थी ने मृतक पर हमले को किसी भी तरह से प्रोत्साहित किया था या सहायता प्रदान की थी-अपीलार्थी के लिए एकमात्र आरोप सामान्य या सामूहिक कार्य के बारे में था जिसमें "तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतर गए और डंडा और मुट्ठी से हमला करना शुरू कर दिया" - अपीलार्थी को पीडब्लू1, और 'एस' और 'एन' के बीच झगड़े या हाथापाई में उपस्थिति और भागीदारी के लिए भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था-इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने के लिए 'एस' और 'एन' के साथ सामान्य इरादा साझा किया था या कि अपीलार्थी ने सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया था-अपीलार्थी को दिए गए संदेह का लाभ और वह यू/एन के तहत दायित्व से मुक्त है। धारा 34 आई. पी. सी. जहां तक यू/एस. एस. के तहत आरोप हैं। 302 और आई. पी. सी. 324 का संबंध है-हालाँकि, उसे दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। s.323 r/ws। 34 आईपीसी.

दंड संहिता, 1860s। 34 - प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत अंडर-आउटलाइन।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक 'उस कार्य' के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होगा जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। [पैरा 13] [902-डी-ई]

1.2 . इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अभियोजन पक्ष के समर्थन में मौखिक गवाही है झगड़ा और हाथापाई। अपीलार्थी की उपस्थिति का श्रेय नहीं दिया गया था और इस तरह के झगड़े या हाथापाई में भाग लेना। [पैरा 14] [902-एफ-जी]

आई. पी. सी. की धारा 302 और 324 के तहत संबंधित हैं। हालाँकि, उसे धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। आईपीसी की धारा 34 के साथ। [पैरा 16] [904-डी-एफ]

धरम पाल और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य (1978) 4 एस. सी. सी. 440; विट्ठल लक्ष्मण चलवाड़ी और अन्य बनाम। राज्य कर्नाटक (2010) 14 एस. सी. सी. 739: 574 ; और बिशु सरकार और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2017) 11 एस. सी. सी. 105-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

(1978) 4 एससीसी 440 उस पर भरोसा करें पैरा 15

[2010] 12 एससीआर 574 उस पर भरोसा करें पैरा 15

(2017) 11 एससीसी 105 पैरा 15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील 2021 का No.347

उच्च न्यायालय के 09.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के सी. आर. ए. No.267 में हिमाचल प्रदेश , शिमला में।

प्रदीप कुमार डे, सुश्री शिल्पी डे ऑडित्य, सुश्री श्रेयसी चक्रवर्ती, सुश्री शेहला चौधरी, एम. अनस चौधरी, सुमित कुमार शर्मा, अंसार अहमद चौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अभिमन्यु झांबा, सुश्री थोंपिनाव थंगल, ऋषभ सक्सेना, आशीष झांब, समीर अली खान, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था उदय उमेश ललित, न्यायाधीश।

1. देरी को माफ कर दिया गया। अनुमति दी गई।

2. यह अपील 09.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है। 2016 की आपराधिक अपील संख्या 267 में शिमला में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित।

3. अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं. 3 पर दो लोगों के साथ मुकदमा चलाया गया। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), ऊना, हिमाचल प्रदेश की फाइल पर 2014 की सत्र सुनवाई संख्या 40 में अन्य (संक्षेप में आई. पी. सी.)।

4. उपरोक्त मुकदमे की ओर ले जाने वाले बुनियादी तथ्य, जैसा कि कहा गया है

पीडब्लू1 द्वारा-मूल सूचना देने वाले सुखविंदर सिंह इस प्रकार थे:

" ..... नवंबर 2013 में मैं पूजा देवी की बेटी को ले गया था।

सतनाम सिंह, निवासी डांगोली, तहसील और जिला। ऊना, और था बाद में उससे शादी कर ली। आरोपी निर्मल सिंह मेरा है।

मामा, और उपरोक्त पूजा देवी उनकी साली हैं

(साली)। इस हिसाब से, मेरे मामा निर्मल सिंह ने एमेश एलियास डेपिंदर सिंह बनाम की देखभाल की। बीमार-मेरे खिलाफ होगा। मैं 16.03.2014 पर बद्दी से पुबोवाल घर आया था। मैं अपने दोस्तों कुलविंदर उर्फ बब्बी और रंजीत सिंह उर्फ दीपू से पुबोवाल में रात करीब 8 बजे मिला था। मेरे अनुरोध पर वे मेरे साथ मेरे मामा के घर गए।

बालीवाल में दादी। हम उक्त स्थान की यात्रा की

मोटरसाइकिल धारक पंजीकरण सं। PB.08-BL-1390, जो बब्बी से संबंधित है। हम लगभग 8:30 बजे अपने मायके पहुँच गए। में।

मेरा मामा, मेरी दादी और मेरे दोनों मामा, साधु सिंह और निर्मल सिंह मौजूद थे। घर पहुँचकर हमने अपनी दादी और चाचाओं के पैर आदि छूकर उनका सम्मान किया। लेकिन मेरे चाचा मुझे गाली देने लगे और मुझसे झगड़ा करने लगे। हाथापाई के दौरान बब्बी की कमीज फट गई। इसके बाद हम जल्दबाजी में मोटरसाइकिल पर मौके से चले गए, जिसे दलजीत सिंह चला रहा था। जब हम हाई स्कूल के पास पहुंचे तो कुलविंदर सिंह उर्फ बब्बी ने बताया कि उसने अपना पर्स कहीं गिरा दिया था। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद हम पर्स की तलाश करने लगे। अचानक मेरे दोनों मामा, साधु सिंह और निर्मल सिंह, अपने ड्राइवर रमेश कुमार के साथ एक मोटरसाइकिल पर आए, जिस पर नंबर था। HP.20C-3641, मेरे चाचा साधु सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। मोटरसाइकिल के हैंडल से एक छड़ी (डंडा) बंधी हुई थी। इसके बाद, तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतर गए और हमारे साथ डंडा और मुट्ठी में वार आदि से हमला करने लगे। मेरे चाचा साधु सिंह के हाथ में डंडा था, जबकि मेरे चाचा निर्मल सिंह के हाथ में दरांती थी। उन्होंने मुझे दरात से मारा, जिसके परिणामस्वरूप मेरी उंगली काट दी गई। फिर उन्होंने एक प्रहार किया जो दलजीत सिंह

की बांह पर गिरा और उसके बाद दलजीत सिंह की गर्दन पर एक और प्रहार किया। इसके बाद मैं भागा और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वहाँ से मैंने अपने चाचा साधु सिंह और निर्मल सिंह को मारते हुए देखा। मेरे दोस्त, बब्बी और दलजीत। यह देखकर मैं और भाग गया। इसके बाद बब्बी भी मौके से भाग गया। द ड्राइवर इसके बाद रमेश मौके से भाग गया और चिल्लाने लगा, जिस पर कई लोग मौके पर जमा हो गए। इसके बाद, पुलिस लगभग 10.45 से 11.00 शाम को मौके पर पहुंची। इसके बाद मैं झाड़ी से बाहर आया और देखा कि दलजीत सिंह का शव जमीन पर पड़ा हुआ है। मैंने पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया, एक्स. पीडब्लू1/ए। मैंने उस बयान को देखा है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे मैंने बयान की सामग्री को पढ़ने और मुझे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बारे में समझाने के बाद जोड़ा था पुलिस द्वारा। मेरे दोस्त दलजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की गई।

5. कुलविंदर सिंह उर्फ बब्बी, जिसकी उपस्थिति का उल्लेख पीडब्लू1-सुखविंदर सिंह ने किया था, की जांच पीडब्लू7 के रूप में की गई थी। लेकिन इस गवाह ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और उसे शत्रु घोषित कर दिया गया। इस गवाह द्वारा यह दावा किया गया था:

" ..... यह गलत है कि मेरे हस्तक्षेप पर साधु सिंह ने मुझे छड़ी से मारा, जो मेरी पीठ पर गिर गया और रमेश ने मुझे मुट्ठी और लात से मारा, जिससे मुझे चोटें आईं। स्वयं ने कहा कि हमारा झगड़ा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ था। यह गलत है कि साधु सिंह ने मुझे पकड़ लिया और इस प्रक्रिया में हम गिर गए

हाथ। हालाँकि, मैं यह नहीं कह सकता कि इसका कारण क्या था। मैंने दलजीत सिंह के व्यक्ति पर कोई चोट नहीं देखी और सुखविंदर सिंह, मौके पर। यह सही है कि उस समय चाँद की पर्याप्त रोशनी थी। यह सही है कि मैं आरोपी के हमले से खुद को बचाकर झाड़ियों की ओर भाग गया।"

6. इस प्रकार, मृतक के साथ आए दो गवाहों की गवाही काफी सुसंगत नहीं थी। पीडब्लू15-डॉ. जी. एस. डिधरा ने पीडब्लू 1 और 7 को लगी चोटों के बारे में गवाही दी। पीडब्लू1 की चोटें इस प्रकार थीं:

" 1. बाईं बीच की उंगली पर कटे हुए घाव को साफ़ करें पिनालिन्जियल जोड़। 2. सिकल के आकार में बाएं मध्य फेलिन्क्स या अनामिका उंगली पर कटा हुआ घाव साफ करें। इसके अलावा, पीडब्लू 7 के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं: " 1. ह्यूमरस के बाएँ शाफ्ट पर स्वच्छ प्रभाव संदूषण। 3 सेमी लंबा। 2. 3. 5 x मापने वाले स्कैपुला के बाएं कोण के नीचे प्रभाव संदूषण 0.5 सीएमएस।

5. बाएँ कोहनी के जोड़ के नीचे 2x3 मापने वाला बाएँ प्रभाव संदूषण सीएमएस।

6. दोनों घुटनों के जोड़ों पर दो प्रभाव चोट और घर्षण,

दाहिनी एड़ी और पैर की अंगुली (मेटाटार्सो फालिंजियल जोड़)।

7. पीडब्लू27-डॉ. पीयूष नंदा, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया था, ने मृतक की चोटों के बारे में बयान दिया

इसके अंतर्गत:

" (i) 3-1/2 "x 1-1/2" x 4 "मापने वाला साफ चीरा और बाईं ओर, अनिवार्य के कोण से नीचे की ओर फैला हुआ मार्जिन तेज। कैरोटिड धमनी और गले की सभी मांसपेशियों को चोट के माध्यम से काटने के साथ जुगुलर वाहिकाओं को चोट के माध्यम से काटने के साथ पूरे कान का लोब और फ्रैक्चर मैंडिबल (कोण) के साथ फासिया और ऊतक। (ii) दाहिनी कलाई पर मेटाकार्पल हड्डियों के फ्रैक्चर के साथ 2x1 "x हड्डी की गहराई मापने वाले घाव को साफ करें। उपरोक्त सभी चोटें पूर्व-शव परीक्षण की प्रकृति की पाई गईं। मेरी राय में चोटों के कारण रक्तस्राव सदमे के कारण उनकी मृत्यु हो गई बायीं कैरोटिड और जुगुलर वाहिकाएँ। मैंने डैरेट एक्स को देखा है। एस 1। उपरोक्त प्रकार की चोटें उक्त हथियार/उपकरण से संभव हैं। दिखाए गए हथियार से संभावित चोटों के बारे में मेरी लिखित राय मेरे लिए लाल वृत्त Ext.PW27/C "में है।

8. प्रत्यक्षदर्शी के खाते पर विचार करते हुए, निचली अदालत ने अपने आदेश से दिनांक 1 ने सभी तीन अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302; आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 323; और आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक अभियुक्त को पहली गणना और कठोर दंड के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरी और तीसरी गणना पर एक वर्ष और तीन वर्ष का कारावास जुर्माने और डिफ़ॉल्ट सजा के अधिरोपण के अलावा, क्रमशः गणना।

9. दोषी ठहराए गए आरोपी ने 2016 की आपराधिक अपील संख्या 267 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय अपने निर्णय और दिनांक 09.09.2016 के आदेश द्वारा।

10. यह कहा जाना चाहिए कि दोषी ठहराए जाने और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को आरोपी निर्मल सिंह द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और आगे कोई चुनौती नहीं दी गई थी। हालांकि, आरोपी साधु सिंह ने विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) को प्राथमिकता दी। 2019 का सं. 1817, जिसे इस न्यायालय द्वारा 10.07.2019 पर खारिज कर दिया गया था।

11. अपील के समर्थन में पेश हुए, श्री पी. के. डे, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पास न तो कोई लाठी [2021] 2 एस. सी. आर. थी। या डंडा और न ही पीडब्लू1 की ओर से कोई दावा किया गया था-सुखविंदर सिंह ने अपीलार्थी को किसी विशिष्ट स्पष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर, इस तरह के विशिष्ट कृत्यों के लिए आरोपी साधु सिंह और निर्मल सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया था। श्री डे ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि अपीलकर्ता मौके से भाग गया था और उसने शोर मचाया था, जिस पर कई लोग मौके पर जमा हो गए थे। इसलिए, श्री डे द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से दोषी नहीं कहा जा सकता है।

12. हालाँकि, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अभिमन्यु झांबा ने इन तथ्यों पर भरोसा किया कि अपीलकर्ता आरोपी साधु सिंह और निर्मल सिंह के साथ आया था, जो अलग से डंडा और सिकल से लैस थे; और यह कि अपीलार्थी ने मुट्ठी और लात मारी थी। विद्वान वकील के प्रस्तुतिकरण में, ये तथ्य अपीलार्थी की सक्रिय भागीदारी की ओर इशारा करते हैं और इसलिए, नीचे की अदालतों ने उसे आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से सही पाया था।

13. आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत में कहा गया है, "जब एक आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। सभी के सामान्य इरादे से, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक 'उस कार्य' के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अभियोजन पक्ष के समर्थन में मौखिक गवाही केवल पीडब्लू1 की गवाही के माध्यम से है। उस गवाह ने किया जहाँ तक मृतक पर हमले का संबंध है, अपीलार्थी को किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था और न ही अपीलार्थी को किसी हथियार से लैस बताया गया था। यह भी मामला नहीं था कि अपीलार्थी ने मृतक पर हमले के लिए किसी भी तरह से उकसाया था या सहायता की थी। अपीलार्थी के लिए एकमात्र आरोप सामान्य या सामूहिक कार्य के बारे में था जिसमें "तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतर गए और डंडा और मुट्ठी से हमला करना शुरू कर दिया"।

14. पीडब्लू1 के कथन के अनुसार, आरोपी साधु सिंह और निर्मल सिंह ने उसके घर पर उसके और उसके दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार किया था। मामा के कारण झगड़ा और हाथापाई होती है। अपीलार्थी को ऐसे झगड़े या हाथापाई में उपस्थिति और भागीदारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

15. ऐसी स्थिति में जहां प्रत्यक्ष कृत्यों का श्रेय प्रमुख अभियुक्त को दिया गया था, न कि ऐसे प्रमुख अभियुक्त के साथ आने वाले व्यक्ति को, इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कुछ मामलों में टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

धरम पाल और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य 1

" 15. प्रत्यावर्ती दायित्व निर्धारित करने वाली आपराधिक अदालत को संतुष्ट करना चाहिए।

स्वयं प्रधानाचार्य के मन की पूर्व बैठक के बारे में अपराधी और उसके साथी जिनकी तलाश की जा रही है किए गए प्रत्येक कार्य के संबंध में रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाया गया पूर्व द्वारा। हमारे ज्ञान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह बताता है कि मुख्य अपराधी के साथ एक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के संबंध में अपने इरादे को साझा करता है जो बाद वाला अंततः प्रतिबद्ध हो सकता है। का अस्तित्व या अन्यथा सामान्य इरादा तथ्यों पर निर्भर करता है और अपराधी और उसके साथी किसी भी व्यक्ति से निपटने के लिए जो लड़ाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना स्पष्ट होना चाहिए मुख्य अपराधी के साथ आने वाले व्यक्तियों का आचरण या कुछ अन्य स्पष्ट और ठोस दोषारोपण का टुकड़ा सबूत। ऐसी सामग्री के अभाव में, साथी या साथी को प्रत्येक के लिए न्यायोचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है प्रमुख अपराधी द्वारा किया गया अपराध। ..... " "

विठ्ठल लक्ष्मण चालावाड़ी और अन्य बनाम। की स्थिति कर्नाटक 2

" 15. अपीलार्थी गंगप्पा की भूमिका के संबंध में, अभिलेख पर साक्षय से पता चलता है कि उसने चप्पल-प्रहार किया था मृतक रमेश की माँ, पीडब्लू 6 को। वहाँ कोई नहीं है अपीलार्थी 3 के लिए जिम्मेदार अन्य प्रत्यक्ष कार्य-अभियुक्त जो ऐसा प्रतीत होता है कि जब गुस्सा बढ़ गया तो वह हाथापाई में शामिल हो गया। आरोप है कि उसने आरोपी 1 और 2 को मारने के लिए उकसाया हमारी राय में मृतक संतोषजनक रूप से साबित नहीं हुआ है। धारा की मदद से हत्या के लिए अपनी सजा को सही ठहराने के लिए 34 आईपीसी. 16. अभिलेख पर साक्षय की प्रकृति और उसकी भूमिका अपीलार्थी गंगप्पा पर आरोप है कि वह खेलता है, नहीं हमारी राय, यह स्थापित करें कि अपीलार्थी 3 ने आम राय साझा की निजप्पा और विट्ठल की हत्या करने का इरादा मृतक रमेश। अपीलार्थी 3-अभियुक्त की दोषसिद्धि हालाँकि, सबूत एक उचित संदेह से परे साबित होते हैं। कि अपीलार्थी, गंगप्पा ने पीडब्लू 6 पुतलाववा पर हमला किया एक चप्पल। आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत उसे दोषी ठहराया गया निचली अदालत और उच्च न्यायालय पुष्टि के पात्र हैं।

ग) बिशु सरकार और अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 3

यह सुसंगत है कि वर्तमान अपीलार्थियों में से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी भी हथियार से उड़ाएँ और उन्होंने जो कुछ भी किया वह भाग लेना था हाथापाई में। यह सच है कि पीडब्लू 2 और 5 का दावा है कि उपस्थित अपीलकर्ताओं ने राजू बोस को पकड़ लिया था। लेकिन यह है। अभिलेख से स्पष्ट नहीं है कि क्या इस तरह का कार्य इस तरह से किया गया था अभियुक्त 1 को घातक प्रहार से निपटने में सक्षम बनाना। इसके अलावा, पीडब्लू 3 है इस पहलू पर पूरी तरह से चुप।

8. जिन परिस्थितियों में हम अनुदान देना उचित समझते हैं वर्तमान अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देना और उन्हें बरी करना।आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत आरोप। इस प्रकार इस अपील की अनुमति है और दोषसिद्धि और सजा वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित को अलग रखा जाता है। .....

16. अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने के लिए आरोपी साधु सिंह और निर्मल सिंह के साथ समान इरादा साझा किया था या अपीलार्थी ने सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया था। उसे संदेह का लाभ देते हुए, हम उसे आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत दायित्व से मुक्त करते हैं, जहां तक आई. पी. सी. की धारा 302 और 324 के तहत आरोपों का संबंध है। हम, हालाँकि, उसे आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाएँ। इस तरह की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए, हम अपीलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान करते हैं और उसे अन्य सभी आरोपों से बरी कर देते हैं।

17. इसलिए, इस अपील को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है। यदि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 323 के तहत अपराध के संबंध में सजा काट चुका है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी हिरासत किसी अन्य अपराध के संबंध में आवश्यक है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

3 (2017) 11 एससीसी 105